



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME 1952 (Please refer Para 36A)

EMPLOYEES' PENSION SCHEME 1995 (Please refer Para)

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME 1976 (Please refer Para 10)

(1st RETURN OF OWNERSHIP AFTER ONLINE APPLICATION FOR CODE NUMBER)

[THIS FORM 5A HAS BEEN GENERATED BY ONLINE FILLING/ UPDATION OF FORM 5A THROUGH ECR LOGIN OF EMPLOYER. APPLICATION NUMBER IS 1166301240.]

1. Name of Establishment : **TECHNOCRATS SECURITY SYSTEMS PRIVATE LIMITED**
2. Code Number of the Establishment under EPF Scheme 1952 : KDMAL1351142000
3. Postal address of the Establishment and its branches : GOREGAON EAST, , MUMBAI, MUMBAI CITY, MAHARASHTRA - 400063 [Please see Annexure I]
4. Industry or business in which engaged : TRADING - COMMERCIAL ESTABLISHMENTS
5. Date of commencement of business : 23/09/2009
6. Date of closure by previous management : N/A
7. Whether run by owner or lessee : Run by Owner
8. Particulars of owners :

S. No.	Name	Date of Birth	Status	Father's Name	Residential Address	Position Date
--------	------	---------------	--------	---------------	---------------------	---------------

9. In case on lease, particulars of lessee : N/A

10. If registered under Factories Act, particulars of Manager or occupier : N/A

11. Particulars of persons mentioned above who are incharge and responsible for conduct of business of the

S. No.	Name	Date of Birth	Status	Father's Name	Residential Address	Position Date
--------	------	---------------	--------	---------------	---------------------	---------------

Date:

Signature of employer _____

Name of Employer _____

Designation of Employer _____

Seal of Establishment

Mobile number _____



क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय
मोती उद्योग नगर, रामचंद्र लेन, मालाड (प.) बम्बई 400 064

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER
Moti Udyog Nagar, Ramchandra Lane, Malad (W), Mumbai - 400 064.

सं./ महा / भ. नि. / प्रयोज्यता

दिनांक

NO. MH/PF/APP/ 92309/ENF VIII/SAO/MILD/710

Date : 30/8/2002

सेवा में

✓ 2870

To, M/s. Technocrats Security Systems Pvt. Ltd.

A/212, Viswani Indl. Estate,
Off. Western Express Highway,
Goregaon (E), Mumbai - 400063.

विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्यता - संकेत संख्या का आबंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder applicability thereof - Allotment of code number.

महोदय,

Sirs,

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएँ और विभागों के साथ दि _____ से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है की

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 1-5-2002.....The information made available reveals that.....

1. आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग _____ का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in.....one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना _____ के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as Trading & Commercial.....to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फैक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना के अ-सूचिबद्ध माना गया है।

(1-क) जाँच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वरूप की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is PROVISIONAL on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छि रूप से विस्ता



सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं. _____ दि. _____

के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि. _____ से, व्याप्ती करके उसके लिए एम्एच/

यह संकेत संख्या नियत की गई है।

(1-B) With reference to your application No.....Dated.....received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/..... PROVISIONALLY covering your establishment with effect from..... pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

(1-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए एम्एच/ _____ यह संकेत संख्या नियत की है। यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाएं।

(1-C) The code No. MH/ 92309..... is allotted to you for the purpose of making compliance with the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.

2. आपको _____ से कर्मचारी भविष्य निधि योजना _____ से परिवार पेन्शन योजना तथा _____ से निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अभी तक न किये हो, तो।

2. You are required to implement the provisions of the Employees' Provident Fund Scheme w.e.f. 1-5-2002..... Family Pension Scheme w.e.f. 1-5-2002..... and Deposit Linked Insurance Scheme w.e.f. 1-5-2002..... if not already done.

3. फैक्ट्री / स्थापना में या उसके काम के सम्बन्ध में कार्य करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की धारा 26 के अनुसार निधि की सदस्यता के लिए पात्र होगा।

3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory / establishment shall be eligible for membership of the fund.

4. (1) हर महीने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणभत्ते के

10% 12% की दर से अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान के समान होगा।

4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 10%, 12% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

(2) अंशदान पूर्ण महीने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है।

(ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(3) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतुर्थांश में परिकलित किया जाएगा। जैसे का 125 या उसके अधिक पैसे रुपये के अगले उच्च चतुर्थांश के अनुसार गिने जाएं।

(iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i.e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee.

(4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उसके अधिक पैसे एक रुपया के अनुसार गिने जाएं और 50 से कम पैसे छोड़ दिया जाए।

(iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

टिप्पणी:- किसी भी दिन आपने 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 10%, 12% अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

Note : On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions 10%, 12%.



(5) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर से देय दोनो अंशदान भरें।

(v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.

(6) टेकेदार द्वारा कामपर लगाये हुये कर्मचारीयों के बारे में देय अंशदान टेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रकम के साथ मुख्य नियोक्ता का सुपूर्त करेगा।

(vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.

(7) मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं टेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनो अंशदान और प्रशासनिक खर्चों की रकम भरने की जिम्मेदारी होगी।

(vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.

5. कर्मचारी की उसका वेतन देने से पहले आप उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटौती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की रकम के साथ प्रत्येकमहिने की समाप्ति के 15 के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पोषित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से भरें।

5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner :

(क) म. नि. अंशदान (कर्मचारी एवं नियोक्ता का)	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 1 में निक्षेपित किया जाए।
(a) P.F. contributions (both employees' and employer's)	To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1
(ख) प्रशासनिक खर्चों की रकम	कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निक्षेपित किया जाए।
(b) Administrative charges	To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2
(ग) परिवार पेन्शन अंशदान	कर्मचारी परिवार पेन्शन निधि लेखा सं 10 में निक्षेपित किया जाए।
(c) Family Pension contributions	To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10

टिप्पणी :- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात् मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ महंगाई भत्ता और अंगर हो तो प्रतिधारण भत्ते के 1.10% from 1-8-98 है। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5.00 रुपयों के कम परिकलित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5-00 रुपयें देय होगी।

NOTE : (i) The rate of administrative charges from 1-8-98 is 1.10% of pay i.e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

(2) यह भी नोट कर लिया जाये की सदस्य के वेतन के से यथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यों की उत्तरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निशिद्ध है।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.

(3) आपको सभी पात्र कर्मचारीयों के बारे में पिछले _____ से _____ तक के महिनों के लिए भविष्य कुल अंशदान इस पात्र की तारीख से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित खाते में निक्षेपित करना है।

(iii) You have to deposit the total P.F. contributions of the eligible employees for all past month namely from 1-5-2002 to up date in to the respective account within 15 days from the date of this letter.

(4) धन प्रेषण हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय या विभिन्न जिलों में स्थित निरिक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है।



(v) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the State Bank of India.

(5) चेक यथा अवस्था क.म.नि. लेखा सं 1,2,10,21 और 22 के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किये जाए।

(6) लेखा संख्या 1,2, और 10 में (उपयुक्त ब्योरों के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत लेख सं 21 और 22 में निम्नलिखित प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक महिने की समाप्ति के बाद अगले महिने के 15 दिन के अन्दर करना है।

6. Besides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amounts in Account Nos. 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

1. निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा सं. 21. इस लेखार में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर 0.5% की दर से अंशदान निक्षेपित करना है।

(i) Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21 To this account will be deposited the contribution 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by employer.

2) क्षेत्रीय बीमा निधी प्रशासन लेखा सं. 2 इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर 0.01% की दर से प्रशासनिक खर्चों की रकम निक्षेपित करनी है।

(ii) Regional Insurance Fund Administration Account No. 22 To this account will be deposited the administrative charges 0.01 per cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

7. उपयुक्त लेखा सं. 1,2,10,21, और 22 में किया जानेवाला निक्षेप अलग चालान द्वारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती चालन की प्रति प्रपत्र सं. 12-ए (निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेजी जाए।

7. The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challan and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 1-A (explained below).

8. आपको निम्नलिखित विवरणियों को पोषण/प्रेषण करना है।

8. You are required to maintain/forward the following returns.

1. क.म.नि. योजना 1952 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या 9 तथा प. पे. योजना 1971 के अंतर्गत प्रगत सं. 3 (प.पे.नि.) योजना के अन्तर्गत फैक्ट्री/स्थापना की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या जो सदस्य बनने के लिए पात्र है उस कर्मचारियों के बारे में केवल एक बार इन्हे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है।

(i) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F.P.F. Scheme, 1971. These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/ establishment is covered under the Scheme.

(2) कर्मचारी भ. नि. योजना 1952 इन्हे इस कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दी प्रतियों में प्राप्त करना है तथा प.पे.नि. योजना 1971 के अंतर्गत प्रपत्र सं 2

(ii) Form No. 2 under the EPF Scheme, 1952 and also under F.P.F. Scheme, 1971. These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.

(3) प्रपत्र सं. 5-ए यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। मालिकी में अगर उत्तरवी परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपत्र के जरिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

(iii) Form No. 5 - A This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(4) प्रपत्र सं. 3-ब इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैक्ट्री /स्थापना में पोषित किया जाना है।

(iv) Form No. 3-A This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member.

(5) प्रपत्र सं. 6-ए यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है।

(v) Form No. 6-A This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.

(6) प्रपत्र सं. 12 - ए यह अंशदान की मासिक विवरणी है और इसे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है। भारतीय स्टेट बैंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए।

(iv) Form No. 12-A This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(7) प्रपत्र सं. 5 और 10 यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाना गया तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी है। उनके सम्बन्धित विवरणियाँ हैं जिन्हे तारीख 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता है।

(vii) Form Nos. 5 and 10 These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.

9. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध हैं और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया है। शीघ्र गणक भी इससे संलग्न है।

9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Office and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure "A". A ready reckoner is also enclosed.

10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जाँच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रजिस्टर रखेगी।

10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.

11. निम्नलिखित प्राप्त के अनुसार एक निरीक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।

11. An Inspection book in the following proforma may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observation :

(1) भविष्य निधि निरीक्षक का नाम _____

(i) Name of the Provident Fund Inspector: Shri. K. R. Yadav



(2) जाँच किये गये लेखा की अवधि _____
 (ii) Period for which accounts are checked.....

(3) भेट की तारीख _____
 (iii) Date of visit.....

(4) टीका टिप्पणी _____
 (iv) Observations.....

12. उपयुक्त धारा 2 के अनुसार आपकी फैक्ट्री/स्थापना के लिए एमएच/ _____ यह संकेत संख्या नियत की है। सदस्यों की लेखा संख्या, प्रपत्र संख्या 9 और प्रपत्र संख्या 3 (प.पे.नि.) के अनुसार क्रमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की वैयक्तिक लेखा संख्या एमएच/ _____/1, एमएच _____/2, एमएच _____ 3, और इसी तरह लगातार होगी। एक बार एक सदस्य को नियत की गयी लेखा संख्या किसी भी मामले में दुसरे सदस्य के लिए नियत नहीं की जाएगी। (जिस सदस्य की लेखा संख्या दी गई है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)

12. As state in para 2 above, the code number allotted to your factory/establishment is MH/ 92309. The account number of the individual members will be suffixed by the serial numbers in which they appear in Form No. 9, Form No. 3, (FPF). Thus the Account number of individual members will be MH/ 92309/1, MH/ 92309/2, MH/ 92309/3, and so on. An account number once allotted to a member should in no case be allotted to another member, even though the member bearing Account number may have left your establishment.

13. यह सुनिश्चित किया जाए की निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 14 बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payment are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

14. इसके अतिरिक्त देयता की अदेनगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के अभियोग भी लगाया जाएगा।

14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.

15. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं; तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते हैं।

15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

श्री/श्रीमती _____

भविष्य निधि निरीक्षक

भवदीय,
 क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
 महाराष्ट्र तथा गोवा

Provident Fund Inspector

Shri. K.R. Yadav

please acknowledge receipt of this communication

Yours faithfully,

Asslt. [Signature]
 Regional Provident Fund Commissioner

Maharashtra and
 SAO Malegaon



संलग्नक :

encl.

१. संकेत संख्या के आंबटन सम्बन्धि सूचना

1. Instruction regarding allotment of A/c number and filling up of Scheme.
2. Instruction regarding transfer of previous Provident Fund accumulations and transfer of securities.
3. Ready Reckoner for calculating P.F. contributions/F. P. contributions/Deposit Linked Insurance Contribution.

लेखा संख्या के आंबटन सम्बन्धि सूचना

INSTRUCTION REGARDING ALLOTMENT OF ACCOUNT NUMBER

फैक्ट्री स्थापन की संकेत संख्या के अन्तर्गत योगकर्ता कर्मचारी की लेखा संख्या क्रमिक रूप से होगी। प्रत्येक फैक्ट्री/स्थापना आपनी खुद की क्रमसंख्या बनाएगी एवं निधि के जितने योगकर्ता हैं उतनी ही क्रमसंख्या होगी। फैक्ट्री/स्थापना की संकेत संख्या क्रमसंख्या के पहले जोड़नेपर सम्बन्धित कर्मचारी/योगकर्ता की भविष्य निधि की पूर्ण लेखा संख्या तैयार होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी फैक्ट्री/स्थापना में 52 योगकर्ता हैं तो उनकी पूर्ण भविष्य निधि लेखा संख्या एम्एच/306/1, एम्एच/306/2, एम्एच/306/3, और इसी तरह लगातार एम्एच/306/52 तक होगी। जिससे एम्एच/306 यह फैक्ट्री/स्थापना की अपरिवर्तनीय संकेत संख्या सूचित है और संख्यात्मक क्रमांक योगकर्ता के लिए नियत की गयी लेखा संख्या सूचित करते हैं। संकेत संख्या की तरह योगकर्ता को एक बार नियत की गयी लेखा संख्या भी अपरिवर्तनीय होगी। योगकर्ताने सेवा त्याग देने पर उसका लेखा बंद हो गया हो बन्द लेखा की लेखा संख्या रिकू रखी जाए। उसे किसी नये सदस्य के लिए फिर से नियत न की जाए। योगकर्ता का फैक्ट्री/स्थापन से स्थानांतरण होने पर, जिस फैक्ट्री/स्थापना में वह कार्यकरता था उसमें उसकी लेखा संख्या अप्रवृत्त रहेगी लेकिन किसी अन्य को नियत नहीं की जाएगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और फैक्ट्री/स्थापना के बीच होने वाले पत्राचार में योगकर्ता की लेखा संख्या उद्धृत की जायगी।

The employee's subscriber's account number will be a running number under the code number of the factory/establishment. Each factory/establishment having a serial of its own and as many numbers in the serial as there are subscribers to the Fund. The running numbers prefixed with the code number of the factory/establishment will be the full Provident Fund Account Number of the employee/subscriber concerned. For example, if there are 52 subscribers in a factory/establishment their full Provident Fund Account Numbers will be MH/306/1, MH/306/2, MH/306/3, and so on till MH/306/52, where MH/306 denotes the unalterable factory/establishment's code number and the running, the account number, once allotted to the subscriber will not be changed when he quits service and his account is closed, the number of the closed account will be left blank and WILL NOT BE RE-ALLOTTED TO ANY NEW MEMBER. On transfer of a subscriber from one factory/establishment he joins and his account number in the factory/establishment in which he was last employed will become inoperative and will not be re-allotted to and one. The Account Number of each subscriber must be quoted in all correspondence between the Regional Provident Fund Commissioner and the factory/establishment and vice versa.

SUB-REGIONAL OFFICE MAROL
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

"Panchdeep" Bhavan., Plot No. 9, Road No. 7

M.I.D.C., Andhieri (E) Mumbai - 400093

"निगम हिन्दी में प्राप्त पत्रों का स्वागत करता है"

रसीदी रजिस्ट्री Regd. A. D.
फार्म 'सी'-11 FORM 'C' 11

J.D.P.P. 20,000/9/98



दूरभाष्य 2842570, 2842578

2842532

Tel. No. 2842570, 2842578

2842532

क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र
REGIONAL OFFICE MAHARASHTRA

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

पंचदीप भवन, सहीद भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई-400 005.

PANCHDEEP BLDG., COLABA, MUMBAI-400 005.

संख्या : ब/व्याप्ति/No. B/Cov./

RM 1859

सेवा में, To,

35-820-101

दिनांक Date :- 17-7-2002

18

मेसर्स M/s.

Technocrats

प्रमुख नियोजक

Principal

Employer :

Security System Pvt. Ltd.

A-212, Virwani Ind. Estate

Off. Western Express Highway

Goregoan (E), Mumbai - 400063.

विषय :- क. रा. बी. अधिनियम, 1948 का कार्यान्वयन 1 क. रा. बी. अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 2/(12)-1/(5) के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं कारखानों/स्थापनाओं का पंजीकरण ।

Sub : Implementation of the ESI Act, 1948. Registration of Employees and factories/establishments U/S/2 (12)-1 (5) of the ESI Act, 1948 as amended.

प्रिय महोदय/या Dear Sirs/Madam

आपको आगे सूचित करना है कि केन्द्रीय सरकार ने क. रा. बी. अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में स्थित सभी कारखानों अधिनियम के उपबंधों को लागू किया है ।

I have to inform that Under Sec. 1 (3) of the ESI Act, the Central Government has made provisions of the Act applicable to all factories situated within the notified area.

2. आपको आगे सूचित करना है कि उपयुक्त सरकार ने अपनी दिनांक 18-9-78 की अधिसूचना संख्या क. रा. बी. - 1677/3910/पी. एच-14 के द्वारा दिनांक 12-11-1978 से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1/(5) के अन्तर्गत अन्य स्थापनाओं में भी अधिनियम के उपबंधों को बढ़ा दिया है ।

2. I have further to inform you that the appropriate Government has extended the provisions of the Act to other Establishments Under Sec. 1 (5) of the ESI Act with effect from 12-11-1978 vide notification No. ESI-1677/3910/PH-15 dated 18-9-1978, and to Road Motor Transport Establishments with effect from 13-3-1989 vide Notification No. ESI/2788/2999/CR/350/MED/13 dated 10-3-1989.

3. अधिनियम की धारा 2-क के अनुसार ऐसे कारखाने/स्थापना को स्वयं अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करना आवश्यक है और अध्याय IV के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत व्याप्त अपने कर्मचारियों के बारे में अंशदानों की अदायगी का उत्तरदायित्व प्रमुख नियोजक को सुनिश्चित करना है ।

3. Under Section 2-A of the Act such a factory/establishment is required to register itself under the Act and Cl thereof casts a responsibility on the Principal Employer thereof to insure its employees and to pay contributions in r



4. आपके द्वारा दी गई सूचना/बीमा निरीक्षक स्था. प्रबंधक द्वारा दिनांक _____ के निरीक्षणोपरान्त दी गई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आपका कारखाना/स्थापना दिनांक _____ से अधिनियम की धारा 2-(12)/1-(5) के अन्तर्गत अस्थायी रूप से व्याप्त माना लिया गया है । फिर भी अगर बाद में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अगर कारखाना/स्थापना उपरिल्लिखित तारीख से और पहले व्याप्ति योग्य पाया गया हो तो आप उसे पहले की तारीख से ही अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करें ।

4. On the basis of the particulars in respect of your factory/establishment submitted by you/the report of the Inspection conducted by the Insurance Inspector/Local Office Manager on 11/6/2002 your factory/establishment falls within the purview of Section 2(12)/1 (5) of the Act with effect from 11/5/2002 (P) (Provisionally). In case, however, subsequent facts reveal that your factory/establishment was coverable from a date prior to the date mentioned above, you shall make yourself liable to comply with the provisions of the Act from such earlier date.

5. आपसे निवेदन है कि आप अपने कारखाने/स्थापना की व्याप्ति की तारीख से अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के घोषणापत्र भरकर उन्हे पंजीकृत कराने और उनके अंशदानों को अदा करने तथा तत्संबंधी रिकार्ड रखने आदि का नाम तुरन्त शुरू कर दें ।

5. You are requested to take immediate steps for registration of your Employees by filling in Declaration forms and payment of contributions, maintenance of records etc. from date of coverage of your factory/establishment under the Act.

6. आपकी सुविधा के लिए आपके स्थापना को कोड संख्या 31 _____ आंबंटित की गई है, जिसे आप इस कार्यालय को भेजे जाने वाले हर पत्र पर और सभी फार्मों में निर्धारित स्थान पर अवश्य लगाने की कृपा करें आपके कर्मचारियों के पंजीकरण एवं अन्य सुविधायें दिलाने हेतु _____ पर स्थित निगम के स्थानीय कार्यालय को आवश्यक अनुदेश दे दिए गए हैं । अगर इस योजना के तहत प्राप्त सुविधाओं में कोई कठिनाई हो या योजना से संबंधित अन्य किसी भी उद्देश्य से आप स्थानीय कार्यालय प्रबन्धक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जो आपकी हर संभव सहायता करेगा ।

6. For the sake of convenience, your establishment has been allotted Code No. 31 - 35-820-101 which may kindly be used in all communications sent to this office and all forms at the place indicated for the purpose. The Local Office of the Corporation situated at Georegan has been instructed to render necessary assistance to you in connection with registration of your employees. In case you find difficulty or for any other purpose which may be necessary in connection with the Scheme, you are requested to contact the Manager of the above Local Office who will render necessary help in the matter.

7. निवेदन है कि बीमा चिकित्सा व्यवसायियों/राज्य बीमा औषधालयों की सूची का अपने कारखाना/स्थापना के कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रचार करने की कृपा करें, जिससे वे अपनी सुविधा के अनुसार बीमा चिकित्सा व्यवसायी/राज्य बीमा औषधालयों का चुनाव कर सकें । उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय से अपेक्षित फार्म आदि प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके सभी कर्मचारी संबद्ध हैं ।

7. It is requested that publicity may kindly be given to the list of Insurance Medical Practitioners/State Insurance Dispensaries, in your factory/establishment to enable your employees to choose their State Insurance Dispensaries/Insurance Medical Practitioner. Required forms etc. may please be collected from the Local Office mentioned above, to which all your employees will also be attached.

8. भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं की एक सूची इसके साथ संलग्न है, जो क.रा.बी. अंशदानों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं । आप उनमें से किसी एक शाखा को अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं, जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जानी चाहिए । आप कर्मचारी राज्य बीमा को देय राशि भारतीय स्टेट बैंक की केवल उसी शाखा में जमा करें । अगर आपने इस पत्र के प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के अंदर कोई सूचना नहीं दी तो विनिर्दिष्ट बैंक की शाखा, जिसमें आपने अंशदान की राशि जमा की है, आपकी फेक्टरी/स्थापना के लिए "नामित शाखा" मान ली जाएगी ।

8. A list of Bank Branches who are authorised to accept ESI contributions is enclosed. You may kindly choose one of the Branches convenient to you, under intimation to this office and to the concerned branch of the State Bank of India and deposit the ESI dues in that branch only. In case no intimation is received within 15 days of the receipt of this letter, the amount of contribution deposited in one of the specified branch would be considered as 'Nominated Branch' for your factory/establishment.



9. आपसे यह भी निवेदन है कि कृपया अपने पंजीकृत कार्यालय/मुख्य/शाखा कार्यालयों/गोदामों आदि के बारे में भी जो स्थापना के अहते से बाहर स्थित है और कर्मचारी राज्य बीमा के 1966 के संशोधन की शर्तों के अनुसार व्याप्ति योग्य है, निम्नलिखित प्रोफार्मा में अपेक्षित सूचना देने की कृपा करें :-

9. Further, you are requested to please arrange to intimate the detailed particulars in respect of your Registered/Head/Branch Office/Godowns, etc outside establishment/premises and coverable in terms of the E.S.I. Amendment 1966 in following proforma.

राज्य/क्षेत्र का नाम Name of State/ Region	कस्बे का नाम व पूरा डाक पत्ता जिसमें कार्यालय स्थिति है Name of town in which office is situated with full postal Address	कार्यालय अस्तित्व में आने की तारीख Date on which the office-came into existence	कर्मचारियों की संख्या No. of Employees	कार्य का स्वरूप Nature of Duty	प्रबंध अभिकर्ता/नियोजक का नाम, पदनाम व पता जिससे संपर्क किया जा सकता है । Name, Designation & address of Managing Agent/Employer who is to be contacted
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी : अगर सूचना "कुछ नहीं" है तो भी उपर्युक्त प्रोफार्मा में दिखाये जो इस कार्यालय के रिकार्ड के लिए अपेक्षित है और भविष्य में समय-समय पर इसमें होने वाले परिवर्तनों से भी इस कार्यालय को अवगत कराते रहें ।

Note :- In case the information is 'Nil', the same may be indicated in the above proforma for records of this office and further changes in future may be continued to be reported from time to time.

10. आप से यह भी निवेदन है कि हमारे निरीक्षक को, जो कि कुछ दिनों बाद आपके कारखाने/स्थापना का दौरा करने वाला है, फैक्टरी/स्थापना के शुरू होने की तारीख से सभी आवश्यक रिकार्ड, जिसमें हाजिरी रजिस्टर, मजदूरी रजिस्टर, रोकड बहियाँ, लेजर्स, वाउचर्स इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।

10. You are also requested to please arrange to produce for verification all the necessary records comprising of Attendance Registers, Wage Registers, Cash Books, Ledger, Vouchers etc. since the inception of the factory/establishment before our Inspector who will be visiting in due course.

रा.बी. अधिनियम, 1948 के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए निगम के अधिकारी/कर्मचारी आपकी आवश्यक एवं अपेक्षित सहायता करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी तरफ से करा.बी. अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों के समानानुसार और तत्परता से अनुपालन करेंगे ।

11. The Corporation Officials would be pleased to render all necessary and possible assistances to you in discharging your duties and obligations under the ESI Act, 1948 and I am confident of prompt and timely compliance with the provisions of the ESI Act and regulations on your part.

12. इस सम्बन्ध में आगे का पत्र व्यवहार आप बीमा शाखा _____ से करेंगे, जिससे आप प्रशासकीय सुविधा हेतु संबद्ध किए गए है ।

12. Further correspondence in this regard may be made with the Insurance Branch Ins VI SPromerol, whom you are attached for administrative convenience.

13. आप से यह भी निवेदन है कि आप संलग्न 0-1 फार्म/परिशिष्ट को पूरी तरह भरकर और हस्ताक्षर करके तुरन्त इस कार्यालय में जमा कर दें ।

13. You are also requested to submit to this office enclosed 0-1 form/Annexure duly filled in and signed, immediately.

14. विलम्ब को टालने के लिए आप अपनी कूट संख्या का उल्लेख सभी पत्राचार में अवश्य करें ।

14. Please Indicate your Code No. on all correspondence to avoid delay



15. कृपया नियोजित गाइड संबंधित स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करें ।
15. Please collect Employers' Guide from the concerned Local Office Manager.

भवदीय, Yours faithfully,

उप निदेशक Dy. DIRECTOR
कृते क्षेत्रीय निदेशक For REGIONAL DIRECTOR

R. B. PASI
उहायक क्षेत्रीय निदेशक
Asst. Regional Director

अनुलग्नक :- यथोपरि Encl : As stated above

1. * भारतीय स्टेट बैंक की सूची List of S.B.I.

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :- Copy for information and necessary action to :

पंजीकरण शाखा/103-ए अनुभाग/निरीक्षण शाखा/प्रविष्टि अनुभाग/स्था. का./प्रबन्धक _____ /

बीमा निरीक्षक _____

R. R. Br./103-A Sec/Inspection Br./Posting Section/Local Office Manager _____ /

Insurance Inspector _____

काम का स्वरूप Nature of work :

कर्मचारियों की संख्या No. of Employees :-

उप निदेशक Dy. DIRECTOR

